



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 मई 2018—वैशाख 12, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2018

अधि. क्र. 17-एफ-1-2-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् रन्नौद, जिला शिवपुरी का गठन करती है :—

सारणी

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुरी	बदरवास	रन्नौद	रन्नौद
			सेसई	1. सेसई 2. ढकुआ 3. खरीला
			डगपीपरी	1. डगपीपरी 2. नेगमा 3. गिल्टोरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2018

अधि. क्र. 17-एफ-1-2-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. एफ-1-2-2018-अठारह-3, दिनांक 2 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd May 2018

Notification. No. 17-F-1-2-2018-XVIII-3.—In Exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, constitutes the Municipal Council, Rannod comprising the villages of village Panchayat mentioned in the Table given below, namely :—

TABLE

S. No.	District	Tehsil	Name of the Village Panchayat	Areas Included/detail of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shivpuri	Badarwas	Rannod	Rannod
			Sesai	1. Sesai 2. Dhakua 3. Kharila
			Dagpipari	1. Dagpipari 2. Negma 3. Giltora

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJEEV NIGAM, Dy. Secy.